रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229199 CG-DL-E-24082021-229199

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3174] No. 3174] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

सं. 20/2015-2020

विषय:—आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) की आयात नीति अनुसूची—I (आयात) के संबंध में सामान्य टिप्पणियों के पैरा 6(ख) के प्रावधान की प्रयोज्यता में छूट।

- का.आ. 3464(अ).—क्रश्ड और डी—ऑयल्ड जीएम सोया केक (केवल निर्जीव जीव) के आयात के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:
- 1. (i) दिनांक 27.07.2021 के अ.शा. सं. आर—43011/2/2021—एएनआईएम\_ डीएडीएफ के द्वारा, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पहले 12 लाख मीट्रिक टन क्रश्ड और डी—ऑयल्ड जीएम सोया केक (निर्जीव जीव) के आयात की अनुमित देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमित/अनुमोदन मांगा।
- (ii) उपर्युक्त के जवाब में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 06.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्पष्ट किया है कि; "चूंकि सोया डी—ऑयल्ड और क्रश्ड (डीओसी) केक में कोई जीवित परिवर्तित जीव नहीं है, इस मंत्रालय का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सोया केक के आयात पर कोई गहन चिंता एवं आपत्ति नहीं है;

4717 GI/2021 (1)

- (iii) उपभोक्ता मामले विभाग ने फा.सं. एम—1/1/2020—पीएमसी दिनांक 16.08.2021 और शुद्धिपत्र दिनांक 16.08. 2021 के माध्यम से 12 लाख मीट्रिक टन जीएम सोया डी—ऑयल्ड केंक के आयात की सुविधा प्रदान के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बारे में अवगत कराया है।
- (iv) पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 19.08.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन आयातों को 2 पत्तनों नामतः न्हावा शेवा (समुद्री पत्तन) और पेट्रापोल सीमा (भूमि पत्तन) पर सुगम बनाया जा सकता है।
- 2. इसलिए, समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 और विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति अनुसूची—I (आयात) के संबंध में सामान्य टिप्पणियों के पैरा 6 के प्रावधान में छूट प्रदान करती है।
- 3. तदनुसार, आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति अनुसूची—I (आयात) के संबंध में सामान्य टिप्पणियों की शर्त सं. 6(ख) केवल न्हावा शेवा (आईएनएनएसएआई) पत्तन और एलसीएस पेट्रापोल (आईएनपीटीपीबी) के माध्यम से दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो आईटीसी एचएस कोड 23040020 और 23040030 के तहत 12 लाख मीट्रिक टन क्रश्ड और डी—ऑयल्ड जीएम सोया केक (केवल निर्जीव जीव) के आयात हेतु लागू नहीं होगी।
- 4. नामित पत्तनों के माध्यम से उपर्युक्त वस्तुओं के आयात की मात्रा की सख्त निगरानी सीबीआईसी द्वारा संबंधित पत्तनों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के माध्यम से की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 12 लाख मीट्रिक टन की मात्रा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति, अनुसूची-I (आयात) के संबंध में सामान्य टिप्पणियों की शर्त 6(ख) के प्रावधानों की प्रयोज्यता में दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 या अगले आदेश तक जो भी पहले हों, न्हावा शेवा (आईएनएनएसएआई) पत्तन और एलसीएस पेट्रापोल (आईएनपीटीपीबी) से आईटीसी एचएस कोड 23040020 और 23040030 के तहत 12 लाख मीट्रिक टन क्रष्ड और डी-ऑयल्ड जीएम सोया केक (केवल निर्जीव जीव) के आयात की अनुमित देने हेतु छूट प्रदान की गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. एम—5012 / 300 / 2002 / पीसी—2(क) / पार्ट—VI / ई—9019] अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2021

## No. 20/2015-2020

Subject: Relaxation in applicability of provision in Para 6 (b) of General Notes Regarding Import Policy Schedule – I (Imports) of the ITC(HS) 2017, Schedule – I (Import Policy).

- **S.O.** 3464(E).—The following communications have been received regarding the import of crushed and de-oiled GM soya cake (Non-living organism only):
- 1 (i) Vide DO No. R-43011/2/2021-Anim\_Dadf dated 27.7.2021, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying sought permission/approval of MOEF&CC for allowing import of 12 Lakh MT crushed and de-oiled GM soya cake (Non-living organism) upto 31st October 2021, or earlier;

- (ii) In response to the above, MOEF vide OM dated 6.8.2021, has clarified that, "Since soya de-oiled and crushed (DOC) cake does not contain any living modified organism, this Ministry has no concerns and no objection for import of soya cakes from environmental angle";
- (iii) DoCA vide F. No. M-1/1/2020-PMC dated 16.8.2021 and Corrigendum dated 16.8.2021 has conveyed the approval of the Competent Authority to facilitate the import of 12 Lakh ton of GM soya deoiled cake; and
- (iv) DAHD vide letter dated 19.8.2021 has communicated those imports may be facilitated at 2 ports namely, Nhava Sheva (sea port) and Petrapole border (land port);
- 2. Therefore, in exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT(D&R) Act, 1992 and paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby relaxes the provision in Para 6 of General Notes Regarding Import Policy, Schedule I (Imports) of the ITC(HS), 2017.
- 3. Accordingly, Condition No. 6 (b) of General Notes Regarding Import Policy Schedule -I (Imports) of the ITC (HS) 2017 will not apply to the import of 12 Lakh Metric ton of crushed and de-oiled GM soya cake (only Non-living organism) under ITC HS codes 23040020 and 23040030 till 31<sup>st</sup> October,2021 or until further orders, whichever is earlier, only from Nhava Sheva (INNSA1) port and LCS Petrapole (INPTPB).
- 4. Strict monitoring of import quantity of the above items through the designated ports shall be carried out by CBIC through the customs authorities at the respective ports to ensure that the quantity of 12 lakh Metric ton is not breached.

Effect of the Notification: Application of provision as in Condition 6(b) of General Notes Regarding Import Policy Schedule – I (Imports) of the ITC (HS) 2017 is relaxed to allow imports of 12 Lakh Metric ton of crushed and de-oiled GM soya cake (only Non-living organism) under ITC HS codes 23040020 and 23040030 from Nhava Sheva (INNSA1) port and LCS Petrapole (INPTPB), till 31st October, 2021 or until further orders, whichever is earlier.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019]

AMIT YADAV, Dir. Genl. of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.